

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज

दस्तावेज

बनाम

श्रीमती शोभा


किस्म मुकदमा

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

नं. 274

सन् 2014

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इ हुकम की ताली
09.06.2022	<p>वकील प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का पेश करने पर पत्रावली नियत पेशी 28.06.2022 से पूर्व तलब की जाने पर आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण मय पक्षकारान् ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर विद्वा कर खारिज किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील अप्रार्थीगण ने कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया। अतः वकील प्रार्थीगण के निवेदन एवं वकील अप्रार्थीगण की अनापत्ति के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विद्वा स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विद्वा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	


(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

